




119



माननीय राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

बाबुलाल पिता घनश्यामदास सोमानी PBR/किरमी/इंदौर/भू.श/2018/1381

निवासी- ग्राम बरदरी, तहसील महू जिला इंदौर

-- प्रार्थी

प्रस्तुत दिनांक 6/3/18 को प्रारंभिक सत्रिक अंतर्गत 14-3-18 ई

विरुद्ध

म० प्र० शासन तर्फे अनुविभागीय अधिकारी 'राजस्व'

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर

अ. नं. 2/अ. 101 को धारा 1 पेटा एवं वा. नं. 104 म. निवासी ओ. री. दे. न. पा. के मु. प्र. नं. 14-3-18 ई प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी 'राजस्व' डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

जिला इंदौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 184/अ-2/17-18 में दिनांक

22/02/2018 में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सदर निगरानी प्रस्तुत की जा

रही है:-


प्र. प्र. 6/3/18

पीलीआर/निगरानी/इंदौर/मू.रा./18/1381

23-8-18

आवेदक काचिठमता श्री जयंत पटवा
उपाधित। अना. शासन की कोर से श्री हेमन्त
सुंगी शासकीय काचिठमता उपाधित।

आवेदक द्वारा पुस्तक आगे नहीं चलाये
जाने से नॉट प्रेश में समाप्त विद्ये
जाने का निवेदन किया गया। पुस्तक
आवेदक के निवेदन पर आगे नहीं चलाये
जाने के कारण नॉट प्रेश में समाप्त
किया जाता है।


ब्रह्म


सी.र.